

Chapter-X

The monthly remuneration of its employees and officers is provided as per regulations.

राजस्थान सरकार के पुनरक्षित वेतनमान (प्रभावी) के अंतर्गत समस्त अधिकारी , मंत्रालय संवर्ग, तकनीकी कर्मचारी एवं चतुर्थ क्षणी संवर्ग के कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तो तथा समय समय पर इनमे संशोधन /वृधि के अनुसार भुगतान किया जाता है।